



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 178-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2017 (ASVINA 18, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

प्रशासकीय सुधार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 अक्टूबर, 2017

संख्या 7/31/2014-3ए0आर0- हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0, दिनांक 15 फरवरी, 2016 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए0आर0, दिनांक 15 फरवरी, 2016 में, अनुसूची में, क्रम संख्या 189 में,-

I. खाना 3 और 4 के नीचे, विद्यमान मद (4) तथा उसके सामने प्रविष्टियां के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

3	4
“(4) पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (1958 का पंजाब अधिनियम 15) के अधीन दुकान का पंजीकरण,- (क) अपने ग्राहक को जानने के लिए अमान्य (के.वाई.सी0); (ख) अपने ग्राहक को जानने के लिए मान्य (के.वाई.सी0)	1 दिन 15 दिन”;

II. खाना 4, के नीचे, मद (7) के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

4
“1 दिन”;

III. क्रम संख्या 189 ख के बाद, खाना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 के नीचे, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4	5	6	7
189 ग	श्रम विभाग	हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड(एचबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड) के लाभार्थी के रूप में निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण / नवीनीकरण	30 दिन	राज्य के सभी पंजीयक अधिकारी	उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य	संयुक्त सचिव, हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
189 घ	श्रम विभाग	हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधीन लाभ प्रदान करना	90 दिन	सम्बद्ध उप निदेशक	संयुक्त सचिव, हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड	श्रम आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड"।

डी० एस० डेसी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Notification

The 11th October, 2017

No. 7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014(4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Administrative Reforms Department, Notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Administrative Reforms Department, Notification no. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, in the Schedule, in serial number 189,-

(i) under column number 3 and 4, against item (iv), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

3	4
iv) Shop Registration under Punjab Shops and Commercial Establishment Act, 1958 (Punjab Act 15 of 1958)	
a. Invalid for Know Your Customer(KYC)	1 day
b. Valid for Know Your Customer(KYC)	15 days

(ii) under column number 4, against item (vii), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

4
“1 day ;

(iii) after serial number 189 B, under columns 1,2,3,4,5,6 and 7, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

1	2	3	4	5	6	7
189 C.	Labour Department	Registration/Renewal of construction workers as beneficiary of Haryana Building and Other Construction Workers' Welfare Board (HBOCWW Board)	30 days	All registering officers in the State	Deputy Director, IS&H	Joint Secretary, HBOCWW Board
189 D.	Labour Department	Delivery of benefits under various Welfare Scheme of Haryana Building and Other Construction Workers' Welfare Board	90 Days	Concerned Deputy Director	Joint Secretary, HBOCWW Board	Labour Commissioner-cum-Secretary, HBOCWW Board

D. S. DHESI,
Chief Secretary to Government, Haryana.